न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 06/2015 (प्रा.प. राजस्व अपील)

अनवान

1. श्री पन्नालाल पिता धुला लौहार, निवासी सायरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

—प्रार्थी/अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये उप तहसीलदार सायरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

— विपक्षी/रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री महेन्द्र पुरी गोस्वामी, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

अपील कार्यवाही अंतर्गत धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध प्र.सं. 1/2015 न्यायालय उप तहसीलदार सायरा आदेश दिनांक 25.03.2015

* निर्णय *

दिनांक— 13-07-2017

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अपील अन्तर्गत धारा 91(3), राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार सायरा मुकदमा संख्या 01/2015 निर्णय दिनांक 25.03.2015 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सायरा, तहसील गोगुन्दा मे अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सायरा द्वारा दिनांक 25.03.2015 को हस्तगत निर्णय व आदेश के तहत अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल किये जाने का निर्णय पारित करने मे वैधानिक भूल की है, जबकि तथाकथित आराजी भूमि पर अपीलान्ट का सन् 1982 से उक्त भूमि को ओक्युपाई कर अपने कब्जे मे लेकर मकान निर्माण कराया। तत्पश्चात् उसमे अपीलान्ट बिना रोक टोक निवास कर रहा है व उक्त भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अपने कृषि औजारो को ठीक करने के लिये लौहारी कार्य अमल मे लाता हैं व अपीलान्ट कृषि शिल्पी की श्रेणी मे आता हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वर्ष 2015 मे अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित करने मे भूल की हैं, जबकि अपीलान्ट की पूर्ववर्ती पाड़ा पिता गल्ला कडेचा को कृषि शिल्पी का पट्टा दिया गया था व वर्तमान मे अपीलान्ट भी कृषि शिल्पी हैं एवं उक्त आराजी भूमि 1301 मे करीबन 25 मकानात बने हुए है, जिसे गर्ग कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह अपीलान्ट ने भी उक्त आराजी भूमि जो राज्य सरकार बिलानाम होने से अपीलान्ट ने अपने आवास हेतु मकान का निर्माण कर अपने परिवार सहित उसमे निवास कर रहा है। 441 वर्गफीट का पक्का निर्माण कराया है एवं शेष भूमि पर वाउण्ड्रीवाल बनाकर अपीलान्ट ने उक्त भूमि को अपने आवास हेतु उपयोग मे सन् 1982 से ले रखा हैं, जिसे बेदखल किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित हैं। उक्त आराजी मे बने हुए 25 मकानो मे से किसी को भी तहसीलदार द्वारा नोटिस नहीं दिया गया है, मात्र अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही

की गई हैं। अपीलान्ट बी.पी.एल. व अन्त्योदय परिवार श्रेणी का व्यक्ति है, जिसे अनुदान स्वरूप मकान बनाने के लिये राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा कई योजना बना रखी हैं, जिसे लाभान्वित किया जाना अपेक्षित होते हुए भी उपतहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को बेदखल करने की कार्यवाही की हैं, जबकि उक्त भूमि मुझे आवास हेतु नियमन किया जाना न्यायोचित एवं अनिवार्य हैं। अपीलान्ट के पास उक्त आवास के अतिरिक्त और कोई आसरा नहीं हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अपीालन्ट को तथाकथित आवासीय मकान आराजी संख्या 1301 मे रेगुलाईज फरमाते हुए उक्त आवासीय मकान अपीालन्ट के नाम पर कराये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षी/रेस्पोडेन्ट को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। प्रकरण मे अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार सायरा, तहसील गोगुन्दा से मूल पत्रावली संख्या 01/2015 मंगवाई जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को प्रार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। बहस प्रांरभ करते हुए प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तथाकथित आराजी भूमि पर अपीलान्ट द्वारा सन् 1982 से ओक्युपाई कर अपने कब्जे मे लेकर मकान निर्माण कराया। तत्पश्चात् अपीलान्ट बिना रोक टोक निवास कर रहा है व उक्त भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अपने कृषि औजारो को ठीक करने के लिये लौहारी कार्य अमल मे लाता हैं व अपीलान्ट कृषि शिल्पी की श्रेणी मे आता हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को गलत अतिक्रमी घोषित किया गया हैं। अपीलान्ट की पूर्ववर्ती पाड़ा पिता गल्ला कडेचा को कृषि शिल्पी का पट्टा दिया गया था व वर्तमान मे अपीलान्ट भी कृषि शिल्पी हैं एवं उक्त आराजी भूमि 1301 मे करीबन 25 मकानात बने हुए है, जिसे गर्ग कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह अपीलान्ट ने भी उक्त आराजी भूमि जो राज्य सरकार बिलानाम होने से अपीलान्ट ने अपने आवास हेतु मकान का निर्माण कर अपने परिवार सहित उसमे निवास कर रहा है। 441 वर्गफीट का पक्का निर्माण कराया है एवं शेष भूमि पर वाउण्ड्रीवाल बनाकर अपीलान्ट ने उक्त भूमि को अपने आवास हेतु उपयोग मे सन् 1982 से ले रखा हैं, जिसे बेदखल किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित हैं। उक्त आराजी मे बने हुए 25 मकानो मे से किसी को भी तहसीलदार द्वारा नोटिस नहीं दिया गया है, मात्र अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही की गई हैं। अपीलान्ट बी.पी.एल. व अन्त्योदय परिवार श्रेणी का व्यक्ति है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जावें एवं अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जावें। बहस मे भाग लेते हुए राजकीय अधिवक्ता द्वारा स्पष्ट किया कि ग्राम सायरा, तहसील गोगुन्दा की बिलानाम आराजी संख्या 1301 रकबा 0.4650हे. किस्म मगरी मे से 21 X 21 = 441 वर्गफीट भूमि पर अपीलान्ट श्री पन्नालाल पिता धुला लौहार, निवासी सायरा द्वारा अतिक्रमण कर मकान बना कर टीनशेड़ डाल देने से अवैध निर्माण की रिपोर्ट पटवारी हल्का सायरा द्वारा प्रस्तुत होने पर उप तहसीलदार सायरा द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91(3) के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया। दिनांक 16.03.2015 को अपीलान्ट द्वारा उपस्थित होकर एक पट्टा व ईकरार पत्र पेश किया। पट्टा श्री

पाड़ा पिता गला वडेचा के नाम से जारी हो एवं उसमे लिखी आवंटन शर्तो के अनुसार उस पट्टा अन्य को हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता एवं भूमि आबादी की न होकर बिलानाम सरकार होने पर उप तहसीलदार सायरा द्वारा अपीलान्ट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) के अनुसरण मे आ.न. 1301 मे 21X21=441 वर्गफीट भूमि पर अवैध निर्माण करने से अतिक्रमी घोषित किया गया हैं। अवैध निर्माण को हटाने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अवैध निर्माण नही हटाया जाने से उपतहसीलदार सायरा द्वारा अपीलान्ट को बिलानाम आराजी संख्या 1301 रकबा 21X21=441 वर्गफीट भूमि पर उनके द्वारा बनाये गये मकान अवैध निर्माण से बेदखल किये जाने का आदेश पारित दिया, जो नियमानुसार हैं।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध जमाबंदी की नकल एवं वर्णित तथ्यों आदि का गंभीरता से अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि ग्राम सायरा, तहसील गोगुन्दा की बिलानाम आराजी संख्या 1301 रकबा 0.4650हे. किस्म मगरी मे से 21 X 21 = 441 वर्गफीट भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण कर मकान बना कर टीनशेड़ डाल देने से अवैध निर्माण की रिपोर्ट पटवारी हल्का सायरा द्वारा प्रस्तुत होने पर उप तहसीलदार सायरा द्वारा अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया जाने के उपरान्त राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) के अनुसरण मे आराजी संख्या 1301 मे 21 X 21 = 441 वर्गफीट भूमि पर अवैध निर्माण करने से अतिक्रमी घोषित कर अवैध निर्माण को हटाने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अवैध निर्माण नही हटाया जाने से उपतहसीलदार सायरा द्वारा अपीलान्ट को बिलानाम आराजी संख्या 1301 रकबा 21 X 21 = 441 वर्गफीट भूमि पर उनके द्वारा बनाये गये मकान अवैध निर्माण से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया है। बहस के दौरान अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा आबादी भूमि का विक्रय विलेख पाड़ा पिता गला के नाम का भी प्रस्तुत किया है, किन्तु उक्त पट्टे पर न तो आराजी संख्या अंकित है और न ही उसमे वर्णित शर्त अनुसार उक्त पट्टा किसी को हस्तान्तरण किया जा सकता है। ऐसी स्थिति मे उप तहसीलदार सायरा द्वारा की गई समस्त कार्यवाही विधिसम्मत एवं नियमानुसार होना पायी जाती हैं।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सायरा द्वारा प्रकरण संख्या 01/2015 मे पारित निर्णय दिनांक 25.03.2015 को यथावत रखा जाता है। साथ ही उपतहसीलदार सायरा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त भूमि पर दुबारा कोई कब्जे का प्रयत्न न करें एवं भविष्य मे भी बिलानाम राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(छोगाराम देवासी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर